17/12/2020 दैनिक भास्कर

# 11203 लाभार्थियों को भोजन वितरित, देवली में इन्दिरा रसोई ने साढ़े तीन माह में छुआ आंकड़ा

## मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के "कोई भूखा ना सोए" के संकल्प को इंदिरा रसोई कर रही है साकार

अमितेश भारद्वाज | देवली

स्थानीय नगर पालिका द्वारा स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी की जयन्ती पर शुरू की गई इन्दिरा रसोई से अच्छी खबर निकलकर आ रही है।साढे तीन माह की अल्पकालिक अवधि में ही गत रविवार तक 12 हजार 217 लाभार्थियों को लंच एवं 11 हजार 203 लाभार्थियों को भोजन वितरित किया जा चुका है। तो दूसरी खबर यह भी है कि इसी के साथ राज्य में इन्दिरा रसोई ने एक करोड लाभार्थियों को खाना खिलाने का आंकड़ा छू लिया है।

नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि यहां स्थानीय बस स्टैंड पर पालिका के भवन में इंदिरा रसोई का संचालन करवाया जा रहा है। जिसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। नगर पालिका प्रशासन ने राज्य सरकार की मंशा के अनुसार इस रसोई को और बेहतर बनाने के लिए इसके रखरखाव के लिए पालिका की ओर से कर्मचारी अलग से नियुक्त कर रखे हैं। जो नियमित साफ सफाई पर निगरानी रखते हैं तथा संचालक द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे डिनर एवं लंच के बारे में भी पूरी जानकारी जुटाते हैं। साफ सफाई के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। इसलिए संचालकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। वह भी समय-समय पर इंदिरा रसोई का निरीक्षण करते हैं। ताकि लाभान्वितों को कोई परेशानी ना हो। मीणा ने बताया कि इंदिरा रसोई में लाभार्थी 8 रुपए में बैठकर भोजन कर सकता है। भोजन में मुख्यत दाल, सब्जी, आचार व चपाती है। नगरपालिका एवं नगरपरिषद क्षेत्र में प्रतिदिन भोजन सीमा 300 थाली एवं नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन 600 थाली प्रति रसोई प्रतिदिन है।आवश्यकता होने पर इसे 100 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता हैं। उन्होंने बताया कि जिले में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। जिन की निगरानी में बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंदिरा रसोई के प्रति लोगों एवं जरूरतमंद लोगों का रुझान इसलिए अभी है कि इसमें इनमें बेहतर प्रबंधन के साथ इंटरनेट सेवाएं भी उपलब्ध है। सबसे

खास बात यह है आठ रुपए में पर्याप्त भोजन मिल रहा है।

रसोई संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा न केवल राजकीय भवन किराए पर उपलब्ध करवाए गए हैं। बल्कि रसोई संचालन के लिए प्रत्येक आधारभूत खर्च के लिए 5 लाख रुपए व्यय कर फर्नीचर, बर्तन, फ्रिज, वाटर कूलर, आटा गूंदने की मशीन, वाटर प्यूरी फायर, कम्प्यूटर, गैस, बिजली, पानी कनेक्शन, इन्टरनेट कनेक्शन इत्यादि उपलब्ध करवाए गए हैं। इतना ही नही सरकार द्वारा प्रति रसोई प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय के पेटे 3 लाख रुपए उपलब्ध करवाती हैं। जिनमें से कम्प्यूटर ऑपरेटर, बिजली पानी, इंटरनेट आदि पर होने वाला व्यय सरकार वहन करती हैं। साथ ही इसी व्यय से रसोई में कार्य करने वाले स्टाफ की ड्रेस, बर्तन, फर्नीचर के खराब होने पर नया लेने का भी प्रावधान है।

इंदिरा रसोइयों में आईटी का बेहतर ढंग से उपयोग किया गया है। लाभार्थी के रसोई में प्रवेश करते ही उसका स्वतः ही फोटो खिंच जाता हैं। एवं उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर कम्प्यूटर में फीड कर वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाता हैं। इसके बाद लाभार्थी को तुरंत मोबाइल पर मैसेज आता है कि इंदिरा रसोई मे पधार कर भोजन ग्रहण करने के लिए आपका धन्यवाद। इस मैसेज में मोबाइल पर कोविड गाइडलाइन का पालन करने का भी आग्रह किया जाता हैं। वेब पोर्टल पर लाभार्थी एवं समस्त 358 रसोइयों का डाटा पब्लिक डोमेन मे रहता है।जिसे कोई भी व्यक्ति लाइव देख सकता हैं। वेब होटल एवं वेबसाइट पर लाभार्थियों की संख्या, पुरूष, महिला, आयु वार लाइव काउन्टर रहता हैं, जिसमें पल-पल की सूचना प्रदर्शित होती रहती हैं।लाभार्थियों से स्वायत्त शासन विभाग के कॉल सेन्टर एवं सूचना प्रौद्योगिक विभाग के राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर से फोन कर भोजन की गुणावता आदि के बारे में सुझाव लिया ज

पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि राज्य में अनेक इन्दिरा रसोईया ऐसी भी है, जिन में रसोई संचालक द्वारा लाभार्थियों से अंश अथवा राज्य सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नही लिया जाता। रसोई संचालक अपने स्तर पर लाभार्थियों को खाना खिलाते है। उन्होंने बताया कि इंदिरा रसोई में कोई भी एक या एक से अधिक समय का खाना आयोजित कर जरूरतमंद को मुफ्त में खिला सकता है। इसके लिए उसे किसी भी इन्दिरा रसोई में जाकर पैसा जमा कराना होता हैं, सम्बन्धित व्यक्ति के पास मोबाइल एवं ईमेल पर मैसेज आता है एवं इस दिन के भोजन के समय प्रत्येक कूपन पर यह मैसेज लिखा आता है कि "आज का खाना श्री. द्वारा आयोजित है।

अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि रसोई संचालकों को देय राजकीय अनुदान के मासिक भुगतान की विशेष व्यवस्था की गई हैं। रसोई संचालकों द्वारा पोर्टल पर सिंगल क्लिक से ऑनलाइन बिल जनरेट किया जाता हैं एवं यूआईडी पोर्टल के माध्यम से आधार ऑथेंटिकेशन किया जाता हैं। और बिल को ऑनलाइन ही बिना भौतिक हस्ताक्षर किए बिना ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में सम्बन्धित नगरीय निकाय को भुगतान के लिए भेज दिया जाता हैं। नगरीय निकाय में सम्बन्धित रसोई संचालक को भुगतान के लिए नोटशीट भी

ऑनलाईन तैयार हो जाती हैं। इसके बाद सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा रसोई संचालक को ऑनलाइन सीधे बैंक खाते में भुगतान हस्तारित हो जाता हैं। इस पूरी प्रक्रिया में समस्त थालियो की गणना ऑनलाइन स्वतः होकर इनवॉइस जनरेट होता है, रसोई संचालक को कही भी हस्ताक्षर नही करने पड़ते हैं ना ही बिल लेकर नगरीय निकाय में जाना पड़ता है। भुगतान प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी है।

Scanned with CamScanner